न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश महोदय, ग्वालियर

R-1880-II/13

कूरा तनय घुरईया लोधी (मृत) वारिस पुत्र

1• रामशंकर तनय कूरा लोधी

2• रघुवीर तनयकूरा लोधी

निवासीयान ग्राम बनेरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म•प्र•

--- निगराकारगण

बनाम

1• धन्नू तनय सुखदयाल लोधी

2• महिला महिला हल्की वेवा सुखदयाल लोधी

3• दयाराम तनय जालम लोधी सभी निवासीयान ग्राम तामलऊ तहसील बल्देवगढ जिलाटीकमगढ म•प्र•

--- प्रतिनिगराकारगण

द्वितीय निगरानी प्रतिकूल आदेश विद्वान अपर कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 268/निगरानी/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 5/3/013 से दु:खी होकर।

महोदय,

निगराकारगण की विनय निम्न प्रकार है :-

1/- यहीक विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ का आदेश नियम, न्याय एवं वाक्यात पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2/- यहीक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2239,2240 रकबा क्रमशः 1•056 ,0•032 लगानी 7•81 , 0•00 कुल किता -2 कुल रकबा 1•185 आरे कुल लगानि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 1880-दो/ 2013 जिला-टीकमगढ़

कूरा व अन्य विरूद्ध धन्सू आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019 09/01/19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 268/निग./2010-10 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~04-03-2013~~ 04-05-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 07/01/19
सदस्य